

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरगैंगेस्टर एक्ट में फरार 25000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर योगेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में गठीत टीमो द्वारा धरातलीय एवं इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित फरार 25000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ की वारदात को कारित करने की फिराक में गुजर पार पुलिया के पास खड़ा है, कि उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर मय टीम के गुजरपार पुलिया के पास से अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ समय प्रातः 04.15 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सुनसान स्थान देखकर खड़ा था और इस फिराक में था कि किसी राहगीर को टार्गेट करके बरामद तमंचा को दिखाकर उससे लूट / छिनाती का कार्य करता ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बरामदगी –

एक अदद तमंचा 315.बोर व 315. अदद जिन्दा कारतूस 2बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1.मु2022/211 -0सं0अ0 धारा25/3 - A Act. थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मुभादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ 395,412,34 धारा 2021/283-0सं0अ0
2. मुभादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ 395,412,34 धारा 2021/285-0सं0अ0
3. मु (1)3 धारा 2022/289-0सं0अ0गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़ 0प्र0
4. मु0अ0 संआमर्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 25/3 धारा 2022/211-0

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

- 1.SHO योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर, आजमगढ़
- 2.उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला प्रभारी स्वीट टीम II आजमगढ़

रौनापार-आजमगढ़अपहरण व दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी थाना रौनापार आजमगढ़ की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष जो दिनांक 05.07.22 को समय करीब 08.00 बजे सुबह स्कूल गयी थी जो वापस नहीं आयी काफी खोजबीन करने पर न मिलने व मो0नं0 9039XXXXXX से वादी के मोबाईल पर फोन आना व वादी को उसकी लड़की को ले जाने की बात कहना, वादी द्वारा स्कूल पहुंचने पर लड़की के न मिलने के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 235/2022 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था जिसमें अपृहता/पीड़िता की बरामदगी व बयान 161 सीआरपीसी व बयान 164 सीआरपीसी से अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र विश्राम पटेल निवासी टेकनपुर उम्र 24 वर्ष थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी किया गया।

उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा आज दिनांक 23.07.22 को टेकनपुर पुलिया के पास से समय करीब 09.45 बजे मु0अ0सं0 235/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र विश्राम पटेल निवासी टेकनपुर उम्र 24 वर्ष थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 2350/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/पाक्सो एक्ट 4 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पटेल पुत्र विश्राम पटेल निवासी टेकनपुर उम्र वर्ष थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 24

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-1. उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. का0 गिरिजेश गौतम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंजहत्या के मुकदमें में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.06.2022 को वादिनी मुकदमा श्रीमती कामिनी सिंह पत्नी स्व0 मनीष सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि आरोपीगण 1.मनोज सिंह पुत्र श्रीनरायण सिंह 2. यशवन्त सिंह पुत्र मनोज सिंह 3. नितिन सिंह पुत्र मनोज सिंह 4. वीना सिंह पत्नी मनोज सिंह 5. इशरावती सिंह पत्नी श्रीनरायण सिंह निवासीगण ग्राम धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति मनीष सिंह व ससुर श्री नरायण सिंह की गोली मार कर हत्या कर दिया गया है व चाची अवधराजी देवी को गोली मार कर घायल कर देना व गाली गुप्ता देना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/302/307/504 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया है।

आज दिनांक 23.7.2022 को थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराह हे0का0 रामअशीष राय, का0 नित्यानन्द सिंह, का0 विवेक यादव के द्वारा मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/302/307/504/34/325 IPC व 30 A Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त नितिन सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को परशुरामपुर बाजार से समय करीब 06.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/302/307/504/34/325 IPC व 30 A Act

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नितिन सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. SO संजय कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. हे0का0 रामअशीष राय थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3. का0 नित्यानन्द सिंह थाना कप्तानगंज आजमगढ़
4. का0 विवेक यादव थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना रानी की सराय

लूट की योजना बनाने के मुकदमें में फरार 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 21.7.22 को उ0नि 0अजय प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि 0उमेश चन्द, कां 0ओमप्रकाश गौड़ , कां 0शशिभूषण, कां 0सुनील कुमार यादव, कां 0राकेश गौड़ द्वारा चकखैरुल्लाह तिराहा से अभियुक्तों 1. त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 2. सूरज कुमार पुत्र फौजदार ग्राम खलिलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 3. यशवन्त कुमार पुत्र विष्णु ग्राम सैफपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था तथा चार अभियुक्त क्रमशः 1. अनिल यादव पुत्र सूरज यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. विशाल यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 3. रितेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 4. मंजीत यादव पुत्र अज्ञात ग्राम खैरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गये थे। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक लम्बा पेचकस, एक प्लास, गाड़ियों की चाभी का गुच्छा तथा मैजिक वाहन UP50AT7574 बरामद हुआ था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 399/402/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।

प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व मे व0उ0नि0 निशात जमा खां मय हमराह का0 चन्द्रजीत यादव व का0 राकेश कुमार के द्वारा मिली सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 399/402/420/467/468/471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 1. अनिल यादव पुत्र सूरज यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. विशाल यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 3. रितेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को चेकपोस्ट तिराहा पर से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अनिल यादव पुत्र सूरज यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2
2. विशाल यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़,
3. रितेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त:-

मंजीत यादव पुत्र अज्ञात ग्राम खैरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 निशात जमा खां, का0 चन्द्रजीत यादव व का0 राकेश कुमार

थाना अतरौलिया

छेड़खानी व मारपीट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.07.2022 रात्रि 2 बजे में पीडिता उम्र 18 वर्ष अपने घर में सोई गई थी। तभी अभियुक्त अनीफ नट पुत्र नेफई नट निवासी मदनपट्टी (नट बस्ती) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ आकर छेड़छाड़ करने लगा। जब पीडिता ने शोर मचाया तब पीडिता की माँ/वादिनी वहाँ पहुँची। तो अभियुक्त वहाँ से भाग गया। वादिनी सुबह अभियुक्त उपरोक्त के घर शिकायत करने गई तो अभियुक्त और उसके घर वाले जाति सूचक शब्दों की गाली देते हुए लडाई झगडा मार पीट करने पर तैयार हो गये। वादिनी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/22 धारा- 354 ख,504 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 क SC/ST ACT पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 23.07.22 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह का0 सत्येन्द्र गुप्ता व का0 रामाशीष प्रजापति के द्वारा मु0अ0सं0 253/22 धारा- 354 ख,504 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 क SC/ST ACT से सम्बन्धित अभियुक्त हनीफ नट पुत्र नेफई नट उम्र 23 वर्ष निवासी नट बस्ती मदनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 253/22 धारा- 354 ख,504 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 क SC/ST ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनीफ नट पुत्र नेफई नट निवासी नट बस्ती मदनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव
2. का0 सत्येन्द्र गुप्ता,
- 3 का0 रामाशीष प्रजापति थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना अहिरौला

धारा 308 के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.7.22 को वादी श्री इन्द्रदेव चौबे पुत्र वृजबिहारी चौबे सा0 करनपुर थाना अहिरौला आजमगढ़ ने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बाईक सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के लड़के गौरव चौबे को मारपीट कर मरणासन्न कर देने के आधार पर मु0अ0सं0 301/2022 धारा 308 भादवि पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 23.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक अहिरौला के कुशल नेतृत्व मे प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 धनराज सिंह , का0 विक्रम सिंह का0 पुष्पेन्द्र सिंह व म0का0 उमा देवी के द्वारा मु0अ0सं0 301/2022 धारा 308 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. कुन्दन चौबे पुत्र जन्मेजय चौबे 2. विवेक चौबे पुत्र पंकज चौबे निवासीगण बसही थाना अहरोला आजमगढ़ को धटना में प्रयुक्त एक अदद बांस की लाठी के साथ महियापार तिराहा से समय 11.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त – 1. कुन्दन चौबे पुत्र जन्मेजय चौबे 2. विवेक चौबे पुत्र पंकज चौबे निवासीगण बसही थाना अहरोला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उ0नि0 धनराज सिंह , का0 विक्रम सिंह का0 पुष्पेन्द्र सिंह व म0का0 उमा देवी, का0 हृदेश गुप्ता

थाना सिधारी

नौकरी के नाम पर पैसे हड़पने व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त रामनिवास गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ सा0 एकरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ नौकरी के नाम पर 2,50,000/- रूपये के जेवर हड़पना, दुष्कर्म करना तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाना एवं विरोध करने पर मारना पीटना तथा जान से मारने / मरवाने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0 286/2022 धारा 376/323/506/419/420 भादवि व 3(2)V sc/st act का अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 23.07.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 शैलेन्द्र यादव, का0 अभय सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त रामनिवास गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ सा0 एकरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को उसके घर ग्राम एकरामपुर से समय 12.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 286/2022 धारा 376/323/506/419/420 भादवि व 3(2)V sc/st act थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त रामनिवास गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ निवासी एकरामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. कां0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
3. कां0 अभय सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना जीयनपुर

अपहरण व दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 22/10/2021 को वादिनी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर सूचना दिया कि अभियुक्त - रमेश यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी पारनकुन्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके संबन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/21 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया था विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर मेडिकल और बयान के आधार पर मु0अ0सं0 308/21 धारा 363,366 भादवि में धारा 376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट की वृद्धि की गयी।।

आज दिनांक 23.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे उ.नि. सौरभ सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 308//2021 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमेश यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी पारनकुन्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 05.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 सं0 308/21 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त - रमेश यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी पारनकुन्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –1. उ.नि. सौरभ सिंह थाना जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

2. का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।